Regarding compensation to people displaced under Land Acquisition Act and provision for employment

श्रीमती हिमाद्री सिंह (शहडोल) : सभापति महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र शहडोल के अंतर्गत साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड के सोहागपुर क्षेत्र, जमुना कोतमा क्षेत्र, हसदेव क्षेत्र, जोहिला क्षेत्र में कोयला खदानें संचालित हैं। इन सभी क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत भूमि अधिग्रहण के बदले भू आश्रित परिवारों को मुआवजा और रोजगार दिए जाने का प्रावधान है।

महोदय, मैं आपको बताना चाहती हूं कि उक्त सभी क्षेत्रों में विगत कई वर्षों से भू आश्रितों को मुआवजा और रोजगार के कई मामले आज दिनांक तक लंबित हैं। कई ऐसे मामले हैं जिनमें भू आश्रित परिवारों को मुआवजा मिले तो 5-6 वर्ष बीत चुके हैं किन्तु आज दिनांक तक रोजगार नहीं मिल पाया है। कई ऐसे भी मामले हैं जिनमें भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत भूमि का अधिग्रहण तो कर लिया गया है, मुआवजे की सूचना भी भू आश्रित परिवारों को दे दी गयी है किन्तु मुआवजे की राशि अभी तक नहीं मिल पायी है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह आग्रह करती हूं कि भूमि अधिग्रहण के बदले भू आश्रितों को मुआवजा और रोजगार दिए जाने की प्रक्रिया में गति लायी जाए एवं पात्र भू आश्रित परिवारों को मुआवजे की राशि और रोजगार बिना किसी विलम्ब के जल्द से जल्द दिलवाया जाए।